ायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

पीठासीन अधिकारी	:	आशीष कुमार, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या	:	88/2010

1. कमला देवी (मृतक दौराने दावा) जरिये उत्तराधिकारीगण
1/1. अनिल शर्मा पुत्र श्रीमती कमला देवी
निवासी ग्राम विजयमहल, तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी 15/120, मालवीय नगर जयपुर।
1/2. श्री प्रमोद पारीक पति श्रीमती सुनीता पारीक (मृतक दौराने दावा)
निवासी सी–117 बापूनगर जयपुर।
1/3. मनु पारीक पुत्र श्री सुनिता व प्रमोद पारीक
निवासी सी– 117 बापूनगर जयपुर।
1/4. गरीमा पुरोहित पत्नी श्री स्व. अजय (मृतक दौराने दावा)
निवासी ग्राम विजयमहल तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी 24–बी, कल्याणपुरी, बालकनाथ जी आश्रम बाबाजी मोड गोनेर रोड जयपुर।
1/5. जय पुरोहित (जरिये श्रीमती गरिमा पुरोहित) पुत्र स्व. श्री अजय पुरोहित
निवासी ग्राम विजयमहल, तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी 24–बी कल्याणपुरी, बालकनाथ जी आश्रम बाबाजी मोड गोनेर रोड जयपुर।
2. शशि पारीक पत्नी श्री सीताराम पारीक
निवासी 2/148 एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।

.........वादीगण

बनाम

1. अनन्तनारायण जोशी पुत्र स्व. श्री आनन्दनारायण निवासी म.न. 715 जोशी भवन पानों का दरीबा सुभाष चौक, तहसील व जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश उर्फ उमेश नारायण (मृतक दौरान दावा)
2/1. अमिता पारीक 3551 जगन्नाथपुरी कालवाड रोड जयपुर।
2/2. गार्गी तिवारी 321 ए नाहरगढ रोड चांदपोल बाजार जयपुर।
2/3. अवीनाश जोशी, 44 मारवाड हैण्डीकाफ्टस् गोलीमार सदन के सामने आमेर रोड जयपुर।
2/4. नवीन जोशी 715 जोशी भवन दरीबा पान सुभाष चौक जयपुर।
2/5. उर्मिला जोशी, 44 मारवाड हैण्डीकाफ्टस् गोलीमार सदन के सामने आमेर रोड जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

............प्रतिवादीगण

दावा तकासमा व घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री अनुद्यति मैत्रै, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
2. श्री कैलाश कुमावत, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय   दिनांक 11.01.2017

वादीगण की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया गया है कि कृषि भूमि स्थित ग्राम विजय महल तहसील व जिला जयपुर की खसरा नम्बर 67/2 खसरा नम्बर 68/1/1 एवं खसरा नम्बर 68/2 कुल रकबा 56 बीघा 6 बिस्वा जो कि वादीगण एवं

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के पिता स्व. श्री आनन्द नारायण जी जोशी की खातेदारी की भूमि थी। श्री आनन्द नारायण जी जोशी का स्वर्गवास दिनांक 5–7–1989 को हो चुका है। आनन्द नारायण जोशी के स्वर्गवास के बाद वादीगण तथा प्रतिवादीगण ही उनके उत्तराधिकारी व कायम मुकाम है। स्वर्गीय आनन्द नारायण जी द्वारा छोडी गई सम्पत्ति के संयुक्त रूप से मालिक है पक्षकारान हिन्दू होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम से पाबन्द है। उक्त विवादित आराजी का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच नहीं हुआ है। जिस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी के प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा है।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश हुआ है कि स्वर्गीय आनन्द नारायण जी की उक्त विवादित आराजी में वादीगण का ना तो कोई अधिकार है ना ही कोई कब्जा है। स्वर्गीय आनन्द नारायण जी ने दिनांक 29.01.1988 को एक वसीयतनामा विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर किया। जिस कारण उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयतनामें के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के बहिसा बराबर खातेदार कृषक हुए। वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है। प्रतिवादी सं. 1 ने अतिरिक्त प्रतिवाद में कथन किया कि स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी ने वर्ष 1981 में वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 68/2 की भूमि गोविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को विकय कर दी और इकरारनामा तहरीर कर कब्जा संभला दिया। उक्त सहकारी समिति ने वादीगण एंव प्रतिवादीगण का 500–500 वर्गगज के भूखण्ड निशुल्क आबंटित किये थे जिनको कि वादीगण ने अन्यत्र हस्तान्तरित कर दिया। आनन्द नारायण जी ने अपनी सम्पत्ति का इच्छानुसार पारिवारिक बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया था। स्व. आनन्द नारायण जोशी की मंशा कभी भी वादीगण को कोई सम्पत्ति देने की नहीं रही। उन्होने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रतिवादीगण को ही देने हेतु वसीयत निष्पादित की जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा एटेस्टेड भी थी। इसके साथ ही पारिवारिक बंटवारनुसार खसरा संख्या 68/1/1 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई तथा खसरा सं. 67/2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में रही तथा उसी अनुरूप अर्बन लैण्ड सीलिंग विभाग के समक्ष विवरणियां भी प्रस्तुत की गई। वादीगण को स्व. आनन्द नारायण द्वारा की गई वसीयत की पूर्ण जानकारी है फिर भी बहकावे में आकर यह झूंठा वादपत्र पेश किया है जिसे सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वादपत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। आगामी प्रकम पर प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिया गया।

दोनो पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया: वादिनी नम्बर 1 व 2 आनन्द नारायण जी जोशी [illegible] है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. आनन्द नारायण जी की [illegible] 67/2, 68/1, 68/2 कुल रकबा 56 बीघा 6 बिस्वा [illegible] तहसील जयपुर स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी की मृत्यु दिनांक 5/7/89 के बाद 1/2 हि[illegible]की खातेदार है।

............वादियागण

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

S36 (506)

आया वादीगण उपरोक्त आराजी की अपने आपको दोनो सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी व अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का इंद्राज कराने की अधिकारिणी है।

.... वादियागण

3. आया वादीगण अपने 1/2 हिस्से का अलग से तकासमा कराकर अपने हिस्से का कब्जा प्राप्त करने व लगान अलग से कायम कराने की अधिकारिणी है।

.... वादियागण

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है। वे वादीगण के हिस्से में आई व कब्जे में आई आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें।

.... वादियागण

5. आया प्रतिवादीगण द्वारा पेशशुदा वसीयत दि. 29.01.88 की वसीयत फर्जी है व उस पर आनन्द नारायण जोशी के दस्तखत फर्जी है।

.... वादियागण

6. आया विवादित आराजी की वसीयत दि. 29.01.88 को तहरीर कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा मृतक श्री आनन्द नारायण जोशी के द्वारा किया गया।

..........प्रतिवादी

7. यह कि प्रतिवादीगण स्व. आनन्दनारायण जी की वसीयत के आधार पर समस्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार कथित काश्तकार है व पारिवारिक बंटवारा हो चुका है।

...................प्रतिवादी

8. आया वादीगण का जो वाद आराजी में कोई हिस्सा हक व अधिकारी नहीं है।

........................प्रतिवादी

9. दादरसी क्या होगी।

माननीय रेवेन्यु बोर्ड अजमेर द्वारा निगरानी संख्या टीए 1612/2015 में आदेश दिनांक 7/4/2015 के द्वारा वाद पत्र में एक नया विवाद्यक विरचित कर सर्वप्रथम उस विवाद्यक को निर्णीत करने का आदेश पारित किया। जिसकी पालना में न्यायालय द्वारा दिनांक 24/4/2015 को एक नया विवाद्यक विरचित किया गया जो निम्न प्रकार है:–

10. "आया विवादित भूमि कब अवाप्त हुई व उस अवाप्ति के कारण यह वाद चलने योग्य नहीं है"।

........प्रतिवादी

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू 01 शशी पारीक, पी0डब्ल्यू 02 उमेश नारायण जोशी, पी0डब्ल्यू 03 रूपसिंह, पी0डब्ल्यू 04 राधेश्याम को पेश कर परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तरण प्रदर्श–1, जमाबंदी प्रदर्श–2, उमेश नारायण जोशी की लिखत दि. 31.10.96 प्रदर्श–3, स्व. आनन्द नारायण जोशी के पत्र प्रदर्श–4 लगायत प्रदर्श–6, इकरारनामा दिनांक 21.11.87 प्रदर्श–7 एवं प्रदर्श 7ए पेश कर प्रदर्शित कराये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपनी साक्ष्य में डी.डब्ल्यू–1 रघुनन्दन [illegible] डी.डब्ल्यू–3 महेश चन्द्र शर्मा को पेश कर परीक्षित करवाया [illegible] आनन्द नारायण जोशी द्वारा खसरा सं. 68/2 के सम्बन्ध में भरी गई सीलिंग की विवरणिका प्रदर्श डी–1, उमेश नारायण जोशी द्वारा खसरा सं. 67/2 के सम्बन्ध में भरी गई सीलिंग की विवरणिका प्रदर्श डी–2, अनन्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned with CamScanner

557 507

नारायण द्वारा खसरा सं. 68/1/1 के सम्बन्ध में भरी गई सीलिंग की विवरणिका प्रदर्श डी–3, पारिवारिक बंटवारा प्रदर्श डी–3ए, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श डी–4, वसीयत दिनांकित 29/1/88 प्रदर्श डी–5, प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार को नामान्तरण खुलवाने बाबत दिया गया प्रार्थनापत्र प्रदर्श डी–6, एसडीओ जयपुर के न्यायालय में गोपीबल्लभ के बयान प्रदर्श डी–7, राधेश्याम के बयान प्रदर्श डी–8, रोशनलाल के बयान प्रदर्श डी–9, बीबी फातिमापुरी योजना की सदस्य सूची प्रदर्श डी–10, पम्प खरीद का बिल प्रदर्श डी–11, खसरा गिरदावरी प्रदर्श डी–12 लगायत प्रदर्श डी–17, पत्र दिनांकित 6/2/1966 प्रदर्श डी–18, गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उमेश नारायण को प्रेषित नोटिस प्रदर्श डी–19, गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा एस. आर. पारीक को प्रेषित नोटिस प्रदर्श डी–20, भू अवाप्ति अधिसूचना दि. 8/9/92 प्रदर्श डी–21, भू अवाप्ति अधिसूचना दि. 25/5/93 प्रदर्श डी–22 पेश कर प्रदर्शित कराये गये।

बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति स्वर्गीय श्री आनन्द नारायण जोशी की सम्पत्ति है जिनका देहान्त दिनांक 05/07/89 को हो गया था। उनके देहान्त के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा बाद जांच वारिसान के पक्ष में विवादित आराजी का नामान्तकरण खोल दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने आक्षेपित वसीयत के आधार नामान्तकरण आदेश के विरूद्ध अपील की। जिसमें नामान्तकरण आदेश अपास्त कर मामले को पुनर्विचार हेतु भेज दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वसीयत के आधार पर वादीगण को क्षति कारित किये जाने की सम्भावना के कारण हस्तगत वादपत्र दिनांक 18/06/92 को विरूद्ध प्रतिवादीगण निषेधाज्ञा एवं घोषणा बंटवारा प्रस्तुत किया। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी के नाम अंकित होने के आधार पर ही उनके वारिसान में बराबर बराबर विभाजित की जानी चाहिये ना कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र के अपने जवाब में वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से का मृतक के जीवनकाल में ही विक्रय कर दिया था तथा वादीगण को 500–500 वर्गगज के प्लॉट दिया जाना बताया है। आगे यह भी अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता दिनांक 19/2/91 तथा 21/11/87 को हो गया था जिसके अनुसार ही मृतक स्व. आनन्द नारायण जोशी की उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रतिवादीगण के मध्य हुआ है। सीलिंग में भी उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से इंद्राज है, जो भी इस बात का साक्ष्य है कि भूमि केवल दोनों भाईयों में ही विभाजित हुई है।

वादपत्र में 8 विवाद्यकों की विरचना की गई जिन्हे साबित करने का भार वादी पर अधिरोपित किया गया तथा विवाद्यक संख्या 6 वसीयत को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर अधिरोपित किया गया। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 लगायत 4 को पेश किया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने गवाह डी.[illegible] 3 को पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता का बहस में तर्क रहा है [illegible] आनन्द [illegible]यण जोशी की मृत्यु के बाद वादीगण ने बिना प्रतिवादीगण की [illegible] विवादित आ[illegible] इंद्राज अपने नाम करा लिया जिसका ज्ञान होने पर प्रतिवादी सं0 1 ने जिलाधीश जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की। जिसपर जिलाधीश ने नामान्तकरण आदेश अपास्त कर प्रक[illegible] को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया। वादीगण ने जिलाधीश के आदेश के खिलाफ सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रधान)

Scanned with CamScanner

538 508

जिसमें अपीलीय आदेश यथावत रखा गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण पुनः स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी के नाम अंकित हो गया।

स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 67/2, 68/1/1, व 68/2 राज्य सरकार द्वारा खुदकाश्त में आवंटित हुई थी। उक्त आराजी में से खसरा संख्या 68/2 स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी ने अपने जीवन काल में गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दी थी जिसने उक्त खसरा नम्बर पर बीबी फातिमापुरी आवासीय योजना विकसित की। सोसाईटी ने उक्त बेचान के बाद बसाई गई कॉलोनी में 500-500 वर्गगज के भूखण्ड वादीगण तथा प्रतिवादीगण का दिये थे। वादीगण को उक्त प्लाट उनके पति के नाम से आवंटित किये गये जो सोसायटी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश की गई सूची के अवलोकन से स्पष्ट है। जिन भूखण्डों वादीगण ने विक्रय कर दिया तथा बदनीयतीपूर्वक प्रतिवादीगण को हैरान परेशान की गरज से अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से वादपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 का यह भी तर्क रहा है कि आनन्द नारायण जोशी ने अपने जीवन काल में ही अपनी भूमि का विभाजन कर दिया था जिसमें से खसरा संख्या 68/2 स्वयं के पास रखा तथा शेष दो खसरे अपने दोनों पुत्रों को दे दिये। उसी आधार पर दोनों प्रतिवादीगण ने नगर भूमि एवं भवन कर विभाग जयपुर में समक्ष प्रस्तुत अपनी अपनी विवरणी रिटर्न अलग अलग प्रस्तुत की। जिससे स्पष्ट है कि आनन्द नारायण जोशी ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति का विभाजन अपनी इच्छानुसार अपने दोनो बेटों प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिया।

प्रतिवादी संख्या 1 का यह भी तर्क रहा है कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 19/2/91 को एक पारिवारिक समझौता निष्पादित किया जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानों में भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त आनन्द नारायण जोशी द्वारा वसीयत लिखे जाने के तथ्य को भी इस गवाह ने स्वीकार किया है। स्वर्गीय आनन्द नारायण जी द्वारा की गई अपनी वसीयत में कहीं भी अपनी सम्पत्ति या भूमि का कोई हिस्सा अपनी पुत्रियों अर्थात वादीगण को देने की मंशा जाहिर नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने आनन्द नारायण जोशी की इच्छानुसार ही सम्पत्ति बंटवारे को पारिवारिक समझौता निष्पादित किया।

वसीयत के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क रहा है कि विवादित वसीयत के सम्बन्ध में न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 5 विरचित किया जिसमें उक्त वसीयत पर आनन्द नारायण जोशी के दस्तखत फर्जी होना साबित करने का भार वादीगण पर अधिरोपित किया गया है। लेकिन वादीगण उक्त दस्तखत को फर्जी साबित नहीं कर पाये हैं। उनका यह भी कहना है कि वसीयत के लिए वसीयतकर्ता का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है चाहे शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। वादीगण आनन्द नारायण जोशी का बरवक्त वसीयत [illegible] करने में असमर्थ होना साबित नहीं कर पाये है। जबकि प्रतिवादी [illegible] साबित कर दिया कि वसीयतकर्ता मृत्यु से पूर्व [illegible] जोशी की वसीयत करने की मंशा को वादीगण ने तथा प्रतिवादी संख्या 2 तथा अन्य गवाह ने भी स्वीकार किया है। प्रतिवादी ने उक्त वसीयत के अटेस्टिंग गवाहों के बयान पूर्व में न्यायालय में कराये थे जिनकी प्रमाणित प्रति भी साक्ष्य में पेश की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वसीयत के सम्बन्ध में यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर

Scanned with CamScanner

दिया है कि वसीयत के सही या गलत होने का निर्धारण अर्थात वसीयत की वैधता की जांच करने की राजस्व न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है, केवल मात्र सिविल न्यायालय ही वसीयत की वैधता की जांच कर सकता है। जिसके समर्थन में प्रतिवादी ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये हैं।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विवाद्यक संख्या 10:–

"आया विवादित भूमि कब अवाप्त हुई व उस अवाप्ति के कारण यह वाद चलने योग्य नहीं है" को लेते है जिसे माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम निर्णीत करने के निर्देश प्राप्त है। इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

इस विवाद्यक के सम्बन्ध में प्रतिवादी का तर्क है कि ग्राम विजय महल, तहसील व जिला जयपुर की खसरा नम्बर 67/2 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/1/1 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 68/2 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 6 बिस्वा जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व. श्री आनन्द नारायण जी जोशी की खातेदारी की भूमि थी। हस्तगत वादपत्र उक्त तीन खसरों के विभाजन को लेकर संस्थित हुआ है।

सर्वप्रथम हम खसरा संख्या 68/2 के सम्बन्ध में विवेचन करते हैं:– प्रतिवादी द्वारा लिये गये इस उज्र में कथन किया गया है कि खसरा संख्या 68/2 स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी ने अपने जीवनकाल में ही गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया जिसपर समिति द्वारा बीबी फातिमापुरी योजना बसाई गई। समिति द्वारा आनन्द नारायण जोशी व उनकी दोनों पुत्रियों तथा दोनों पुत्रों का उक्त बीबी फातिमापुरी योजना में 500–500 वर्गगज के भूखण्ड भी दिये गये। पुत्रियों को दिये गये भूखण्ड उनके पति के नाम से आवंटित किये गये। जो कि समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई सदस्यता सूची से स्पष्ट है। वादीगण की गवाह पी.डब्ल्यू 1 शशी पारीक ने अपनी जिरह में कथन किया है कि खसरा संख्या 68/2 मेरे पिता ने गोविन्द गृह सोसाईटी को बेच दिया हो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे मेरे पिता ने गोविन्द गृह सोसाईटी में कोई प्लाट नही दिया। मैने कोई प्लाट नहीं बेचा और ना ही मेरा कोई प्लाट था। गवाह पी.डब्ल्यू 2 उमेश नारायण ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि पिताजी ने गोविन्द गृह सोसाईटी को जो खसरा बेचान किया था उसका नम्बर पता नहीं है। उस सोसाईटी की स्कीम में मेरा एक प्लाट है और परिवार में सबको एक–एक प्लाट दिया था। शशी व कमला को भी एक–एक प्लाट दिया था। हम सबने प्लाट बेच दिये। सबने अपनी अपनी रकम प्राप्त करली। शशी व कमला ने भी अपने प्लाट की रकम ले ली थी। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 अनन्त नारायण ने डी.डब्ल्यू–2 के रूप में अपनी साक्ष्य से कथन ... पिता ने अपनी भूमि 68/2 गोविन्द गृह निर्माण समिति को बेचान कर दिया था। ... उनके जीवन काल में ही समिति ने उस भूमि पर बी.बी. फातिमापुरी कालोनी बनाई और प्लाट काट दिये। जिसमें 2 प्लाट 500–500 गज के मेरी बहन कमला व शशी को दिये। दिये गये प्लाट का भूखण्ड संख्या ए14 व ए17 है। इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि बेचान के बाद उसमें से दो प्लाट केता सोसाइटी ने श्रीमती कमला पत्नी श्री रमाकान्त जी पुरोहित तथा श्रीमती शशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं

Scanned with CamScanner

पारीक पत्नी सीताराम जी पारीक को दिलवाये। यह प्लाट उनके पति के नाम से अलॉट किया गया। सोसाइटी की जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश की गई सदस्यता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी–10 है। इसमें कमांक 14 और 17 पर उनका नाम अंकित है। आगे यह गवाह कहता है कि मैने सोसाइटी के कागज पेश किये है जिसमें मेरे बहनोई और बहनें सोसाइटी के सदस्य सिद्ध होते हैं जो प्रदर्श डी–19 व डी–20 है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 68/2 स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी ने अपने जीवनकाल में ही गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया जिसपर समिति द्वारा बीबी फातिमापुरी योजना बसाई गई। जिसमें पक्षकारान को समिति द्वारा भूखण्ड अलॉट किये गये। समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई सदस्यता सूची प्रदर्श डी–10 के अवलोकन तथा गवाह पी.डब्ल्यू.–1 शशी पारीक, पी.डब्ल्यू–2 उमेश नारायण व डी.डब्ल्यू–2 अनन्त नारायण की साक्ष्य से उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। इससे स्पष्ट है कि वाद प्रस्तुति की दिनांक 18/06/92 को वादग्रस्त उपरोक्त खसरा नम्बर 68/2 की भूमि पर ना तो स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी का स्वामित्व एवं कब्जा था और ना ही हस्तगत प्रकरण के किसी पक्षकार का। लेकिन वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 68/2 के राजस्व रिकार्ड में स्वामित्व के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त खसरा आज भी स्वीर्गीय आनन्द नारायण जोशी के नाम से है। वैसा भी उक्त खसरा के विकय के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है, चूंकि उक्त खसरा के विकय का उज्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिया गया है, तो यह भार उसी पर था कि उक्त खसरा के विकय के सम्बध में दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष पेश करता।

अब हम शेष दो खसरा नम्बर 67/2 व 68/1/1 का विवेचन करते हैं:– इस बिन्दु को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर अधिरोपित है। प्रतिवादी संख्या 1 का उज्र है वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी को राज्य सरकार द्वारा खुदकाश्त में आवंटित की गई थी। आनन्द नारायण जोशी ने अपने जीवन काल में ही अपनी भूमि का विभाजन कर दिया था जिसमें से खसरा संख्या 68/2 स्वयं के पास रखा तथा शेष दो खसरे अपने दोनों पुत्रों को दे दिये। उसी आधार पर दोनों प्रतिवादीगण ने नगर भूमि एवं भवन कर विभाग जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपनी अपनी विवरणी (रिटर्न) अलग–अलग प्रस्तुत की (प्रदर्श डी–1, प्रदर्श डी–2, प्रदर्श डी–3)। जिनसे स्पष्ट है कि आनन्द नारायण जोशी ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति का विभाजन अपनी इच्छानुसार अपने दोनो बेटों प्रतिवादीगण के पक्ष कर दिया। उक्त आराजी के दोनों खसरा नम्बर 67/2 व 68/1/1 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना दिनांक 08/1/91 के द्वारा अवाप्त कर लिये गये, जिस अवाप्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद है। प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क है कि उक्त खसरों की कृषि भूमि को राज्य सरकार द्वारा अवाप्त किये जाने के कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि के स्वामी नहीं रहे है ना ही उक्त भूमि कृषि रही। जिस कारण इस न्यायालय को हस्तगत प्रकरण की सुनवाई करने एवं निर्णित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं होने एवं बार्ड बाई लॉ होने के कारण वादपत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। इस बिन्दु पर वादीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त भूमि अवाप्त हो जाने से वादीगण के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी में स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

56 (5)

विधिक प्रतिनिधि होने के कारण वादग्रस्त आराजी में से बराबर–बराबर हिस्सा घोषित कराने तथा निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। हमने उक्त दोनों खसरा नम्बरान् के राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन किया जिससे उक्त खसरा नम्बरान् का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जाना प्रकट हुआ है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी को विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई तथा उक्त भूमि में से एक खसरा संख्या 68/2 आनन्द नारायण जोशी ने अपने पास रखा तथा शेष दो खसरा नम्बर अपने दोनों पुत्रों प्रतिवादीगण को दे दिये। जिनके सम्बन्ध में दोनों प्रतिवादीगण ने विवरणियां भी दाखिल की है, क्योंकि दोनों ही प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में विवरणियां से इंकार नहीं किया है, जिससे विवरणियों की विश्वसनीयता से इंकार नहीं किया जा सकता। चूंकि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी तथा जिसका विभाजन उन्होने अपने जीवन काल में अपनी इच्छानुसार कर दिया था जो कि दोनों प्रतिवादीगण द्वारा नगर भूमि एवं भवन कर विभाग जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपनी–अपनी अलग–अलग विवरणी रिटर्न (प्रदर्श डी–1, प्रदर्श डी–2, प्रदर्श डी–3) के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त आराजी के दोनों खसरा नम्बर 67/2 व 68/1/1 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना दिनांक 08/1/91 के द्वारा अवाप्त कर लिये गये तथा विवादित आराजी कृषि भूमि नहीं रही और भूमि राज्य सरकार के अधीन चली गई। जो कि अवाप्ति आदेश की अधिसूचना से स्पष्ट है। जबकि वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र दिनांक 18/6/1992 को दायर किया गया है

निष्कर्षतः इस विवाद्यक के बारे में हमारी राय है कि खसरा नम्बर 68/2 जिसकी स्वामित्व राजस्व रिकार्ड में आज भी स्वीर्गीय आनन्द नारायण जोशी के नाम से दर्ज है। जिससे से वादीगण हिस्साा प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा अपने अपने हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। जहां तक खसरा नम्बर 67/2 तथा 68/1/1 का प्रश्न है उक्त खसरा नम्बरान की विवरिण्यां भले ही प्रतिवादीगण द्वारा उनके हिस्से के आधार पर भरी गई हो, जो कि उनके मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो जाना प्रमाणित है, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में अधिकारों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन उक्त खसरा नम्बरान का राजस्व रिकार्ड में स्वामित्व अवाप्ति के आधार पर वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम से ना होकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है, जिस कारण उक्त खसरा नम्बरान के सम्बध मे अधिकारों की घोषणा आदि किसी भी अनुतोष अदायगी का इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।

विवाद्यक संख्या 1, 2, 3 व 4 :–

1. आया वादिनी नम्बर 1 व 2 आनन्द नारायण जी जोशी की पुत्रियां है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. आनन्द नारायण जी की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 67/2, 68/1, 68/2 कुल रकबा 56 बीघा 6 बिस्वा वाके विजय महल तहसील जयपुर स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी की मृत्यु दिनांक 5/7/89 के बाद 1/2 हिस्से की हिस्सेदार है।

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

562 (512)

2. आया वादीगण उपरोक्त आराजी की अपने आपको दोनो सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी व अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का इंद्राज कराने की अधिकारिणी है।
3. आया वादीण अपने 1/2 हिस्से का अलग से तकासमा कराकर अपने हिस्से का कब्जा प्राप्त करने व लगान अलग से कायम कराने की अधिकारिणी है।
4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है। वे वादीगण के हिस्से में आई व कब्जे में आई आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें।

चारों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण, साक्ष्य की पुनरावर्ती ना हो, इसलिये उक्त चारों विवाद्यकों पर विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। चारों विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर है।

इस सम्बन्ध में हम पूर्व में किये गये विवेचन पर गौर करे तो स्पष्ट है कि स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी को विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा खुदकाश्त में आवंटित हुई जो कि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। जिसका वादीगण की ओर से कोई खण्डनकारी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वादीगण का दावा है कि वे स्वर्गीय आनन्द नारायण जी द्वारा छोडी गई सम्पत्ति के संयुक्त रूप से मालिक है तथा पक्षकारान हिन्दू होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम उक्त विवादित आराजी में बराबर में हिससा पाने के अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच नहीं हुआ है। जिस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी के प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी के उत्तराधिकारी अवश्य है परन्तु वे वादग्रस्त आराजी के कोई हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय आनन्द नारायण जी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी तथा उसका उनके जीवन काल में ही विभाजन उनके द्वारा किया जा चुका है। इसलिए वादीगण का अब उक्त विवादित आराजी में कोई हिस्सा व अधिकार शेष नहीं रह जाता है। इसी प्रकार वादीगण का दावा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पोषणीय नहीं हैं क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार कानूनन उपलब्ध नहीं है। जिस कारण वादीगण स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी की सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है ना ही प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है।

हस्तगत वाद में कहीं भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी की मंशा वादग्रस्त आराजी में से अपनी पुत्रियों वादीगण को कोई हिस्सा देने की न रही हो। चूंकि खसरा नम्बर 67/2 तथा 68/1/1 राजस्व रिकार्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। अतः अवाप्त हो जाने एवं जयपुर विकास प्र[illegible] नाम दर्ज हो जाने के कारण उक्त वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे का विषय है। [illegible] संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 के लागू होने के बाद [illegible] ही पुत्रियों को उनके मृत पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है। हस्तगत वाद में [illegible]कारान के पिता स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी का निधन वर्ष 1989 में हुआ था। तथा खसरा नम्बर 68/2 राजस्व रिकार्ड मे

सहायक कलेक्टर (प्रथम)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आज भी स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 68/2 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का हित व अधिकार स्वर्गीय आनन्द नारायण जोशी की सम्पत्ति में सर्जित होता है, जिसके परिणामस्वरूप वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 68/2 का अपने आपको काश्तकार घोषित करवाने का अधिकार उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त चारों विवाद्यकों के विवेचन के आधार पर हम वादीगण को केवल खसरा संख्या 68/2 में प्रतिवादीगण के समान हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी मानते है।

विवाद्यक संख्या 5, 6, 7 व 8 :–

5. आया प्रतिवादीगण द्वारा पेशशुदा वसीयत दिनांक 29/1/88 की वसीयत फर्जी है व उस पर आनंदनारायण जोशी के दस्तखत फर्जी है।
6. आया विवादित आराजी की वसीयत दि. 29/1/88 को तहरी कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा मृतक श्री आनन्द नारायण जोशी के द्वारा किया गया।
7. आया प्रतिवादीगण स्व. आनंद नारायण जी की वसीयत के आधार पर समस्त वाद आराजी के खातेदार कथित काश्तकार है व पारिवारिक बंटवारा हो चुका है।
8. आया वादीगण का वाद आराजी में कोई हिस्सा हक व अधिकारी नहीं है।

चारों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित है, अतः उक्त चारों विवाद्यकों पर विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार वादी पर है जबकि विवाद्यक संख्या 6, 7 एवं 8 का भार प्रतिवादीगण पर है।

इस विषय में हम पूर्व में किये गये विवेचन पर गौर करें तो सामने आता है कि वसीयत का सर्वप्रथम उज्र प्रतिवादी द्वारा संख्या 1 द्वारा वादपत्र के अपने जवाब में लिया गया है। जिसमें उसने स्व. आनन्द नारायण जी द्वारा दोनों प्रतिवादीगण के पक्ष में दिनांक 29.1.1988 को वसीयत का निष्पादन किया गया है जिसके आधार पर स्वर्गीय आनन्द नारायण जी ने अपनी समस्त वादग्रस्त आराजी अपने दोनों पुत्रों प्रतिवादीगण को देने की अपनी मंशा को लिखित में अंकित कराया है, पुत्रियों के लिए स्वर्गीय आनन्द नारायण जी ने वसीयत में कोई उल्लेख नहीं है। जिस आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण का दावा खारिज करने का निवदेन किया है। इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है कि वसीयत जो बताई गई वह फर्जी है, पिताजी के सही हस्ताक्षर नहीं है। दोनो बहिने विवादित आराजी में आधे हिस्से की खातेदारी की अधिकारी है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 उमेश नारायण जो कि हस्तगत वाद में वादीगण के गवाह पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में आया, का कथन है कि [illegible] आंखो से 7–8 साल पूर्व से दिखाई नहीं देता था। मेरे पिता ने मरने से पूर्व [illegible] नहीं की। मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। अगर कोई वसीयत है तो फर्जी है मेरे पिता [illegible] हस्ताक्षर नहीं है। जिस समय की वसीयत अनन्त नारायण ने बताई उस समय तो मेरे पि[illegible] लिखने व हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहस है कि विवादग्रस्त वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसे साबित भी प्रतिवादी संख्या 1 को ही करना था। लेकिन प्रतिवादी ऐसा करने में असफल रहा है। जिससे वसीयत दिनांकित 29.1.88 का निष्पादन संदेहपूर्ण हो जाता है अर्थात वसीयत फर्जी है। निष्कर्षतः प्रतिवादी संख्या 1 अपने द्वारा प्रस्तुत वसीयत को साबित करने में असफल रहा है। अपनी बहस के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं–

जानकी देवी / आर वसन्ती 2005 (1)सीटीसी 11

गोपाल स्वरूप / कृष्ण मुरारी व अन्य एस.सी.ऑनलाईन 25/11/2010

सेठ बेनी चन्द / श्रीमती कमला कंवर व अन्य 1977 ए.आई.आर. 63

जानकी नारायण भौर / नारायण नामदेव कदम एस.सी.ऑनलाइन 17/12/2002

रोसाम्माल ईस्सथीनाम्मला फर्नान्डीज/जूसा मरीयन फर्नान्डीज एस.सी.ऑनलाईन 9/8/2000

बहादुर सिंह / पूरन सिंह राजस्थान उच्च न्यायालय – डी.बी. स्पेशल अपील 23/1993

शिवासामी व अन्य / पूमालाई व अन्य मद्रास उच्च न्यायालय 23/7/2008

वादी की ओर से यह भी कथन किया गया है कि स्व. आनन्द नारायण जोशी अपने अंतिम समय में अस्वस्थ रहते थे, देख व सुन नहीं पाते थे जिस कारण वसीयत पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में वसीयत के निष्पादन का समय संदेहपूर्ण परिस्थितियों की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किया है–

वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 दौराने बहस मुख्य कथन यह रहा है कि रेवेन्यू कोर्ट को वसीयत के सही एवं गलत होने की जांच करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। वसीयत की प्रमाणिकता की जांच एवं विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय को उक्त वाद को सुनने एवं निर्णित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उन्होने वादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस के पैरा संख्या 6 में अंकित किये गये तथ्यों पर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया जिसमें आक्षेपित वसीयत के सम्बन्ध में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम 15 जयपुर महानगर जयपुर में वाद प्रतिवादी संख्या 2 संस्थित किये जाना बताया है, जो वाद लंबित है। इस कारण भी उक्त वाद को राजस्व न्यायालय में चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अपनी बहस के समर्थन में प्रतिवादी ने निम्न न्यायनिर्णय पेश किया है–

ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 818

2006 डब्ल्यू.एल.सी. राज0 यू.सी. 283

सी.एन. नगेन्द्र सिंह बनाम द स्पेशल डिप्टी कमिश्नर कर्नाटक उच्च न्यायालय

ए.आई.आर. 2009 (एन.ओ.सी.) 1473 कर्नाटक

रिछपाल बनाम जीसुखराम 12.9.2011 राजस्थान उच्च न्यायालय

ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1297

उनका यह भी तर्क है कि वसीयत के सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। वसीयत का निष्पादन संदेहपूर्ण परिस्थितियों में किया जाना वादीगण साबित

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नही कर पाये हैं। जो भी वसीयत की प्रमाणिकता को दर्शाता है। अपनी उक्त बहस के समर्थन में प्रतिवादी ने निम्न न्यायनिर्णय पेश किया है–

ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1202

प्रतिवादी संख्या 1 ने बहस में यह भी कथन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत असली है तथा उसने वसीयत के निष्पादन को उसने बखूबी साबित किया है। उसने वसीयत को साबित करने के लिए न्यायालय एस.ओ. सांगानेर के समक्ष वसीयत के अनुप्रमाणक गवाह राधेश्याम एवं रोशनलाल के बयान कराये जिनकी प्रमाणित प्रति उसने अपनी साक्ष्य में पेश की है। इस प्रकार से वसीयत के निष्पादन पर वादीगण द्वारा उठाया गया आक्षेप निराधार है। प्रतिवादीगण के मध्य एक पारिवारिक समझौता निष्पादित किया गया जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में पिता स्व. आनन्द नारायण जोशी द्वारा वसीयत लिखे जाने के तथ्य को स्वीकार किया है, जिसकी प्रति परिवार के कई सदस्यों को दिया जाना भी स्वीकार किया है। उक्त वसीयत में आनन्द नारायण जी द्वारा अपनी पुत्रियों को सम्पत्ति में से कोई हिस्सा देने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि स्व. आनन्द नारायण जोशी की मंशा वसीयत करने की थी तथा वे अपनी पुत्रियों को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 की यह भी बहस है कि विवाद्यक संख्या 5 वसीयत को फर्जी एवं उस पर आनन्द नारायण जी के हस्ताक्षर फर्जी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण वसीयत पर आनन्द नारायण जी हस्ताक्षर फर्जी साबित करने में असफल रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण ने वसीयत को निरस्त कराने हेतु सिविल कोर्ट में दावा नहीं किया ना ही उक्त वसीयत फर्जी होने बाबत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि वादीगण वसीयत की सत्यता से भलीभांति परिचित है। अपनी उक्त बहस के समर्थन में प्रतिवादी ने निम्न न्यायनिर्णय पेश किया है–

ए.आई.आर. 2009 (10) एस.सी. 680

हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायनिर्णयों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक महत्वपूर्ण बिन्दु अपनी बहस में उठाया कि राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैद्यता एवं निष्पादन की परिस्थितियों की जांच करने का क्षेत्राधिकार विधि द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है। इसकी अधिकारिता केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। हमने उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी अध्ययन किया। जिनमें <u>एक्सक्लूसिवली बाई सिविल कोर्ट</u> शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात वसीयत की वैद्यता की जांच केवल मात्र सिविल कोर्ट द्वारा ही की जा सकती है। इस प्रकार हम प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैद्यता की जांच का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में दिये गये तर्कों से सहमत है। निष्कर्षतः इस न्यायालय को वसीयत की वैद्यता की जांच का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। जिस कारण वसीयत के अस्तित्व–अनस्तित्व के बारे में कोई निर्णय ... नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned with CamScanner

-12 (517)

561 (516)

हमने वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एवं लिखित बहस व विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विवेचना से हम इस निर्णय पर पहुंचे है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उसे वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 68/2 ग्राम विजय महल, पटवार क्षेत्र नाहरगढ, भू.अ.नि.क्षेत्र बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर में से 1/4, 1/4 हिस्से का अन्य उत्तराधिकारियों के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष दो खसरा 67/2 तथा 68/1/1 का स्वामित्व अवाप्ति के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने के कारण इनके सम्बध में किसी प्रकार का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। निर्णय आज दिनांक 11.01.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया, निर्णय के अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

(आशीष कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

567 (517)

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम मुकाम जयपुर व इजलास आशीष कुमार, आर.ए.एस.

मुकद्दमा नं. 88/2010

1. कमला देवी (मृतक दौराने दावा) जरिये उत्तराधिकारीगण
1/1. अनिल शर्मा पुत्र श्रीमती कमला देवी
निवासी ग्राम विजयमहल, तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी 15/120, मालवीय नगर जयपुर।
1/2. श्री प्रमोद पारीक पति श्रीमती सुनीता पारीक (मृतक दौराने दावा)
निवासी सी–117 बापूनगर जयपुर।
1/3. मनु पारीक पुत्र श्री सुनिता व प्रमोद पारीक
निवासी सी– 117 बापूनगर जयपुर।
1/4. गरीमा पुरोहित पत्नी श्री स्व. अजय (मृतक दौराने दावा)
निवासी ग्राम विजयमहल तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी 24–बी, कल्याणपुरी, बालकनाथ जी आश्रम बाबाजी मोड गोनेर रोड जयपुर।
1/5. जय पुरोहित (जरिये श्रीमती गरिमा पुरोहित) पुत्र स्व. श्री अजय पुरोहित
निवासी ग्राम विजयमहल, तहसील व जिला जयपुर, हाल निवासी 24–बी कल्याणपुरी, बालकनाथ जी आश्रम बाबाजी मोड गोनेर रोड जयपुर।
2. शशि पारीक पत्नी श्री सीताराम पारीक
निवासी 2/148 एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।

..........वादीगण

बनाम

1. अनन्तनारायण जोशी पुत्र स्व. श्री आनन्दनारायण निवासी म.न. 715 जोशी भवन पानों का दरीबा सुभाष चौक, तहसील व जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश उर्फ उमेश नारायण (मृतक दौरान दावा)
2/1. अमिता पारीक 3551 जगन्नाथपुरी कालवाड रोड जयपुर।
2/2. गार्गी तिवारी 321 ए नाहरगढ रोड चांदपोल बाजार जयपुर।
2/3. अवीनाश जोशी, 44 मारवाड हैण्डीक्राफ्टस् गोलीमार सदन के सामने आमेर रोड जयपुर।
2/4. नवीन जोशी 715 जोशी भवन दरीबा पान सुभाष चौक जयपुर।
2/5. उर्मिला जोशी, 44 मारवाड हैण्डीक्राफ्टस् गोलीमार सदन के सामने आमेर रोड जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

.............प्रतिवादीगण

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू आशीष कुमार सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम व हाजिर मिनजामिन मुद्दई रूबरू मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उसे वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 68/2 ग्राम विजय महल, पटवार क्षेत्र नाहरगढ, भू.अ.नि.क्षेत्र बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर में से 1/4, 1/4 हिस्से का अन्य उत्तराधिकारियों के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष दो खसरा 67/2 तथा 68/1/1 का स्वामित्व अवाप्ति के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने के कारण इनके सम्बध में किसी प्रकार का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न[illegible] आज दिनांक 11.01.2017 खुले न्यायालय मे सुनाया[illegible] बाबत ....
निजी .... मबलिग ....

.... फीसदी

खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह .... को अदा करें।

सालाना आज की तारीख वसूलियत तक ....

सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

S68 (548)

वसूलियाव तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज 11 जनवरी तारीख सन् 2017 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

सहायक कलेक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

ओहदा ....

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो

सहायक कलेक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.12 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner